राजस्व लोक अदालत अभियान

तारीख हुक्म	मनसा नं. 2 [illegible] हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में ज
न्याय आपके द्वार [illegible]	प्र.क्र. 28/2017	
25-6-18	25-6-18 पत्रावली [illegible] लोक अदालत कैम्प कोटा बोरोदा में पेश हुई। प्रार्थी [illegible] सिंह व अप्रार्थी [illegible] कैम्प कोटे में उपस्थित हुए। उभयपक्षों को सुनकर पत्रावली का पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी गण को अपने प्रार्थना-पत्र की सत्यता हेतु अन्य अवसर दिये जाने के उपरान्त भी अपने प्रार्थना-पत्र की पुष्टि में कोई साक्ष्य व सबूत पेश नहीं करने के कारण प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र साक्ष्य के अभाव में खारिज किया जाता है। प्रकरण कैसे शुरू होकर [illegible] तय है तथा बाद वर्गीकृत प्रविष्ट लेख [illegible] है एवं मूल वाद के संबंध है। निर्णय राजस्व लोक अदालत कैम्प कोटा बोरोदा के समक्ष आज दिनांक निराकरण नामंजूर किया।	

Earlier
सहायक कलक्टर
कोटा

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट कोटा जिला कोटा